कार्यालय – कलेक्टर आदिम जाति कल्याण हरदा

सूचना का अधिकार
17 बिन्दु की जानकारी

सूचना के अधिकार संबंधी 17 बिन्दु की जानकारी

1. प्रशासनिक प्रतिवेदन मे सामान्यतया संरचनात्मक ढांचा दिया जाताहै । कार्यालयीन स्तर पर यदि यह उपलब्ध न हो तो पृथक से बनाकर प्रपत्र मे डाला जाये । कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य/दायित्व कार्यालय मे उपलब्ध होंगे । यदि उपलब्ध न हो तो शाखावार दायित्व/कार्य सुनिश्चित कर इस संबंध मे औपचारिक आदेश भी जारी किए जायें ।

– जिला स्तरीय

जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण

↓

क्षैत्र संयोजक, अनुसूचित जाति कल्याण

↓

कनिष्ठ लेखा अधिकारी संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण

↓

स्थापना , राज्य छात्रवृत्ति (अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछडा वर्ग) पो.मे. छात्रवृत्ति, छात्रावास शिष्यवृत्ति, अस्वच्छ धंधा, अस्पृश्यता, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (अनु.जा/अ.ज.जा.) निर्माण, योजना राहत, लेखा (देयक) स्टोर

विकासखंड स्तरीय

मंडल संयोजक
(जिला हरदा मे पदरिक्त)

↓

वेतन केंद्र प्रभारी (छात्रा.अधी.आ.जा.कल्याण) खिरकिया	वेतन केंद्र प्रभारी (छात्रा.अ.आ.जा.क.) टिमरनी	वेतन केंद्र प्रभारी (छात्रा.अ.आ.जा.क.) हरदा

2. कार्यालय मे पदस्थ अधिकारियों के नाम पदनाम कर्तव्य तथा परिलब्धिया संबंधी जानकारी दी जाए । यह जानकारी कोषालय / कार्यालय दोनो जगह उपलब्ध होगी । –

1. जिला संयोजक : श्री ए.एन.सिंग

जिला कार्यालय तथा अधीनस्थ छात्रावास / आश्रमों का प्रशासकीय नियंत्रण छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति का आहरण एवं संवितरण विभिन्न जिला स्तर की समितियों के सचिव के रूप मे कार्य तथा कलेक्टर द्वारा आवंटित कार्य संपादन । आहरित राशियों का समायोजन वेतनमान (8000 – 275 –13500)

2. क्षैत्र संयोजक : पद रिक्त

जिला संयोजक द्वारा प्रदत्त एवं आवंटित कार्य संपादन वेतन मान (5500–175–9000)

3. कार्यालय मे अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक) जो रेखा चित्र (ग्राफ) की सहायता से दिखाई जाए –

निर्णय प्रक्रिया :–

(अ) छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति : प्राप्त राजस्व की प्रस्तुति शाखा संधारक द्वारा क्षैत्र संयोजक/जिला संयोजक की स्वीकृति उपरांत संस्था प्रकरणों को चेक राशि का प्रसारण किया जाकर निराकरण किया किया जाता है ।

(ब) विभिन्न योजनाओं (विकास कार्यो के) मे प्रस्ताव नियम और निर्देशानुसार मु.का.अधिकारियों (जनपद –टिमरनी खिरकिया हरदा) से प्रापत कर कार्यवाही

(स) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर जिला स्तर समिति द्वारा स्वीकृत होकर जिला कार्यालय से भुगतान होकर निराकृत होते है ।

(द) हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन सीधे प्राप्त होकर निराकृत किये जाते है ।

ग्राफ द्वारा :–

(अ) शाला प्रमुख द्वारा छात्रवृत्ति तथा छात्रा.अधीक्षक द्वारा शिष्यवृत्ति का प्रस्ताव

↓

संधारक द्वारा प्रस्तुत

↓

परीक्षण – क्षैत्र संयोजक / क.ले. अधिकारी द्वारा

↓

स्वीकृती – जिला संयोजक द्वारा

↓

(ब) विकास कार्यो (सडक निर्माण (अनु जाति बाहुल्य क्षैत्र मे) चबूतरा निर्माण विद्युतीकरण कार्य ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव

↓

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद खिरकिया /टिमरनी / हरदा

द्वारा प्राप्त परीक्षित अनुशंसित एवं प्रेषित

↓

सचिव | मु.का.अधिकारी जिला पंचायत | अध्यक्ष

4. कार्यालय के द्वारा समय सीमा मे कार्य निपटाये,गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड तक किए जाने संबंधी जानकारी दी जाये । यदि इस तरह के मापदंड नही हो तो इस दिशा मे कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये । ताकि महत्वपूर्ण कार्यो के लिये प्रदेश स्तर पर एक समान गुणवत्ता वाले मापदंड लागू हो सकें ।

5. कार्यालय मे उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम,नियम,रेगुलेशन मैन्यूअल की सूची तैयार की जाए ।

(स) अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधि. 1989 के अधीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन राहत प्रकरण प्राप्ति

↓

संधारक लिपिक (परीक्षण एवं प्रस्तुति)

↓

स्वीकृतीकर्ता (जिला स्तरीय राहत समिति)

↓

जिला संयोजक आ.जा.क. सदस्य सचिव | जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य | जिला कलेक्टर अध्यक्ष

(द) हितग्राही मूलक योजनाओं से प्राप्त आवेदन

↓

संधारक (लिपिक) हरदा

↓

जिला संयोजक (स्वीकृत अथवा अस्वीकृत)

कार्यालयीन कर्मचारियों के मध्य ग्रेडवार कार्यो का विभाजन किया जाकर समयावधि मे कार्य का निपटारा गुणवत्ता के आधार पर होते है निर्माण संबंधीत कार्यो मे गुणवत्ता वाली शासकीय एजेंसी को कार्य सौपा जाता है ।

1. राज्य छात्रवृत्ति नियम 1972
2. छात्रावास नियम 1966–67
3. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति – 1946–47
4. मेट्रोकोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति शासन आदेश से
5. राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति – 1984
6. उत्कृष्ट संस्थान योजना 2001

7. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शासन नियमानुसार

8 विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान योजना नियम 2003

9 विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 1984

10 अनुसूचित जाति/जन जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

11 आदिमजाति/अनुसूचित कल्याण विभाग द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु नियम

12 अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978

13 म.प्र. अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह योजना नियम 1988

14 अस्पृश्यता निवारणर्थ प्रचार–प्रसार एवं सदभावना योजना का नियम 97–98

15 आदर्श ग्राम पंचायत पुरूस्कार 1985

16 म.प्र. हरिजन आदिवासी राहत योजना 1979

17 दाई प्रोत्साहन योजना नियम 1979–80

18 अस्वच्छ धंधो का व्यवसायीकरण नियम 1983

19 म.प्र. हरिजन बस्ती विकास योजना नियम 1989

20 नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1955

21 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1989

6. कार्यालय मे संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा – उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाये –

अ.क्र.	नाम अभिलेख		वर्गीकरण
(अ)	लेखा	(1)	बजट,मासिक व्यय पत्रक,देयक,सामान्य भविष्य निधि का निराकरण – संधारण,अग्रिम आहरण– वितरण एवं संधारण ।
(ब)	स्थापना	(2)	कार्यालय कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका संधारण सेवा,सत्यापन,पेंशन निराकरण ।
(स)	छात्रवृत्ति	(3)	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/छात्रागृह/

आगमन भत्ता/पी.ई.टी/पी.एम.टी/प्रशिक्षणभत्ता अस्च्छ धंधा राज्य छात्रवृत्ति ।

(द)	छात्रवृत्ति	(4)	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर की, कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर की एवं कक्षा 9 से 10 तक का निराकरण ।
(इ)	क.साक्ष.प्रो.यो	(5)	निःशुल्क सायकल प्रदाय – आदि/हरिजन छात्राओं को कखा 9वी एवं 11वी कक्षा मे अध्ययनरत ग्रामीण क्षैत्र की अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु प्रदाय करना ।
(फ)	राहत	(6)	अनुसू जा./अन.जा. अत्याचार /बलात्कार/ अपमान अभित्रास एवं हत्या प्रकरणों के अधिनियम अंतर्गत पुलिस मे दर्ज प्रकरणों मे राहत स्वीकृत करना ।
(य)	योजना	(7)	समस्त योजना – छात्र वृत्ति (पों मे. रा. छात्रवृ, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन) राहत इत्यादि का मासिक /त्रेमासिक प्रगति प्रतिवेदन आयुतु आदि/अनुसू जाति एवं संचालक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को प्रेषण करना ।
(र)	स्टोर	(8)	स्टोर शाखा– मे कार्यालयीन उपयोग की समस्त सामग्री का पंजी मे संधारण करना । संबंधित शाखाओं के साम्री वितरण करना एवं छात्रा./आश्रमों मे विभिन्न सामग्री का क्रय कर वितरण कार्यवाही प्रस्तावित करना । सामग्री अपलेखन की कार्यवाही वार्षिक सम्पन्न कर आवश्यकतानुसार सामग्री मांग करना ।
(ल)	आवक–जावक	(9)	आवक–शासन–प्रशासन से संबंधित आने वाले समस्त पत्रों का आवक पत्री मे इंद्राज करना तथा संबंधित शाखा प्रभारी को प्रदाय करना ।

	जावक– पत्रों/प्रकरणों का निराकरण होने पर जावक पत्री मे दर्जकर संबंधित विभाग आदि को प्रेषित करना ।
7. ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि है उनके – संबंध मे वांछित जानकारी जैसे नाम,आदेश क्रमांक,निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जानी है ।	अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती/विकास एवं अनुश्रवण समिति– निम्नानुसार पदानुसार (गठन शास.आ.क्र.एक/23–37/02/25/4 भोपाल दिनांक 7.8.02 अनुसार किया गया है । जिसके पदाधिकारी निम्नानुसार है

	नाम एवं पद दायित्व	कार्य
अध्यक्ष–	जिला प्रभारी मंत्री श्री बाबूलालगौर	एस.सी.बस्तीयों मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना
सदस्य– 1.	अनुसूजा.वर्ग के विधायक श्री मनोहर लाल राठोर	तैयार करवाना एवं अनुमोदन तथा स्वीकृत करना कार्यो का निष्पादन
सदस्य– 2.	अनुसूजा.वर्ग के पार्षद :– श्री अमृतलाल बडे	
सचिव–	कलेक्टर	
सदस्यसचिव–	जिला संयोजक	

8. कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड परिषद एवं समितियों के नाम एवं अर्हता, गठन संबधी आदेश,चार्टर /अनुबंध से संबंधी जानकारी,बैठक आहत करने संबंधी शासन के निर्देश,आम नागरिक की प्रतिभागीता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाए ।	1. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के नियम 17(2) के प्रावधान अनुसार जिला स्तरीय सर्तकता और मानिटरिंग समिति मे निम्नलिखित सदस्यों का गठन किया गया है । सांसद,पुलिस अधीक्षक, अनुसू जाति एवं जनजाति से संबंधीत राज्य सरकार के तीन समूह (क) अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसू जाति और जनजाति से संबंधित 5 गैर सरकारी सदस्य तथा अनुसू जाति और जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के अधिक से अधिक तीन सदस्य जो सरकारी संगठनों से सहबद्व है । जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होगे जिला स्तरीय समिति की तीन मास मे कम से कम एक बार बैठक होगी । 2. जिला स्तरीय पिछडा वर्ग सलाहकार समितियों का गठन किया जाने

हेतु म.प्र. शासन पिछडा वर्ग अल्पसंध्यक कल्याण विभाग भोपाल के ज्ञाप क्र एक–5–3/04/54–1/ दि 22.5.04 अनुसार निर्देश हुए है ।

गठन का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1. जिला कलेक्टर
2. पिछडा वर्ग जाति समूह के प्रतिष्ठित एवं समाजसेवी सदस्य 15 सदस्य
3. मुस्लिम पिछडा वर्ग जाति के प्रतिष्ठित एवं समाजसेवी सदस्य 5 सदस्य
4. सहायक आयुक्त /जिला संयोजक सदस्य सचिव आदिम जाति कल्याण

जिला स्तरीय पिछडा वर्ग सलाहकार समिति कठन की कार्यवाही जारी है

9. एवं – कार्यालय मे कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पदनाम एवं

10. वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधायें की जानकारी दी जाएगी । यह जानकारी कार्यालय /कोषालय दोनो जगह उपलब्ध होगी ।

क्र.	नाम	पदनाम	मूल वेतन	वेतनमान	नियुक्ति का स्वरूप
1.	श्री. ए.एन.सिंग	जिला संयोजक	9925/-	(8000–13500)	अस्थाई
2	श्री. ए. आर. पाटोदे	कनिष्ठ लेखा अधि.	6250/-	(4000–6000)	–''–
3	श्री. आर.बी.पटेल	लेखापाल	6000/-	(4000–6000)	–''–
4	श्री. मुबीन उद्दीन	स.ग्रेड–3	4590/-	(3050–4550)	–''–
5	श्री. डी. के. चौरसिया	स.ग्रेड–3	4030/-	(3050–4550)	–''–
6	श्रीमति सीमा कुमरे	स.ग्रेड–3	3350/-	(3050–4550)	–''–
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
1	श्री रामचन्द्र लखौरे	भृत्य	3200/-	(2250–3200)	–''–
2	श्रीमति समोती बाई	भृत्य	3140/-	(2250–3200)	–''–

छात्रावास/आश्रमों के स्टाफ की जानकारी

क्र.	नाम	पदनाम	मूल वेतन	वेतनमान	नियुक्ति का स्वरूप
1.	श्री. जी. डी. दुधे	सहा. शिक्षक	6500/-	5000–8000	नियमित
2.	श्री. बी.एल. चाकरडे	सहा. शिक्षक	5300/-	4000–6000	नियमित
3.	श्री. हरिराम मन्डराई	सहा. शिक्षक	5200	5000–8000	नियमित
4.	कु. किरण कुमरे	सहा. शिक्षक	6350/-	5000–8000	नियमित
5.	श्रीमति मुन्नीबाई विश्वकर्मा	सहा. शिक्षक	6200/-	5000–8000	नियमित
6.	श्री. दिनेश परते	सहा. शिक्षक	6200/-	5000–8000	नियमित
7	श्री. एल. एल. उइके	सहा. शिक्षक	6800/-	5000–8000	नियमित
8	श्री. एस. पी. धुर्वे	सहा. शिक्षक	6350/-	5000–8000	नियमित
9.	श्री. ए. एस. धुर्वे	सहा. शिक्षक	6800/-	5000–8000	नियमित
10	श्री. सुरेन्द्र कुमरे	सहा. शिक्षक	4900/-	4000–6000	नियमित
11	श्री. एस. डी. पनागरे	सहा. शिक्षक	5900/-	5000–8000	नियमित
12	श्रीमति शशिकिरण बारहा	सहा. शिक्षक	6200/-	5000–8000	नियमित
13	श्रीमति अनीता धुर्वे	सहा. शिक्षक	5000/-	4000–6000	नियमित
14	श्रीमति सविता शर्मा	सहा. शिक्षक	5200/-	4000–6000	नियमित
15	श्रीमति बबीता अत्रे	सहा. शिक्षक	6050/-	5000–8000	नियमित
16	श्री. त्रिलोकसिंह ठाकुर	सहा. शिक्षक	5600/-	4000–6000	निलंबित
17	श्रीमति उर्मिला कुमरे	सहा. शिक्षक	5000/-	4000–6000	नियमित
18	श्री बी.एम.मदकोरिया	सहा. शिक्षक	6350/-	4000–6000	नियमित
19	श्री आर.एस.परते	सहा. शिक्षक	5000/-	4000–6000	नियमित
20	श्री. एम. आर. माण्डवी	शिक्षक	7550/-	5000–8000	नियमित
21	श्री. आर.बी. प्रधान	शिक्षक	6500/-	5000–8000	नियमित

नियमित वेतनभोगी चतुर्थश्रेणी

क्र.	नाम	पदनाम	मूल वेतन	नियुक्ति का स्वरूप
1.	श्री. रतिराम	रसोई	3200/-	नियमित वेतनभोगी
2.	श्री. मोतीलाल	रसोई	3200/-	नियमित वेतनभोगी
3.	श्री. छीतर प्रसाद	रसोई	3200/-	नियमित वेतनभोगी
4.	श्री. जयनारायण ढोल्या	चौकीदार	3200/-	नियमित वेतनभोगी
5.	श्री. जगदीश उइके	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
7.	श्री. बाबूलाल पारंगे	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
9.	श्री. जगदीश प्रसाद	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
10.	श्री. राधेश्याम	जल वाहक	3140/-	नियमित वेतनभोगी
11.	श्री. चन्द्रगोपाल	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
12.	श्री. नंदकिशोर	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
13.	श्री. सालकराम	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
14.	श्रीराम माण्डवी	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
16.	श्री. मांगीलाल	जल वाहक	945/-	नियमित वेतनभोगी
17.	श्रीमति सागर बाई	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
18.	श्रीमति रामवती बाई	जल वाहक	2900/-	नियमित वेतनभोगी
19.	श्रीमति सुमन्त्रा बाई	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
20.	श्रीमति साविगी बाई	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
21.	श्रीमति यशोदा बाई	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
22.	श्रीमति सुगरती बाई	जल वाहक	3200/-	नियमित वेतनभोगी
23.	श्री. खुमान सिंह	जल वाहक	750/-	नियमित वेतनभोगी

11. कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार,बजट आवंटन तथा उसके उपयोग — संबंधी जानकारी दी जायेगी यह जानकारी कार्यालय / कोषालय दोनो जगह उपलब्ध होगी ।

कार्यालय मे विभागवार बजट आवंटन प्राप्त होता है ।

(अ) अनुसूचित जाति मद – अनुसूचित जाति विभाग द्वारा योजना अनुसार आवंटन प्रदान किया जाता है । एवं आवंटन कोषालय के माध्यम से आहरण की कार्यवाही की जाकर विभागीय योजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है ।

(ब) अनुसूचित जजा. मद – अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा योजना अनुसार आवंटन प्रदान किया जाता है । एवं आवंटन कोषालय के माध्यम से आहरण की कार्यवाही की जाकर विभागीय योजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है

(स) पिछडा वर्ग कल्याणमद– पिछडावर्ग क. विभाग द्वारा योजना अनुसार आवंटन प्रदान किया जाता है । एवं आवंटन कोषालय के माध्यम से आहरण की कार्यवाही की जाकर विभागीय योजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है

12. विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची हितग्राहियों के चयन की प्रकिया, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था,वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या दी जानी है तथा इसे प्रतिमाह अधतन करने की व्यव स्था सुनिश्चित की जाये । यह जानकारी कार्यालय एवं संबंधित विभाग तथा

दाई प्रोत्साहन – अनुसू जा. की प्रशिक्षित दाईयों को अनुसू जा की महिला प्रसूति कराने पर प्रति प्रसूति रू 50/– प्रोत्साहन राशि दी जाने का प्रावधान है ।

चयन प्रकिया – ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर स्वीकृति ।

अनुसू जाति /जनजाति राहत– अनुसू जा/जनजाति परिवारों को आकस्मिक दुर्धटना ,क्षति,संपत्ति की हानि,सवर्ण द्वारा उत्पीडन, आधात बलात्कार,हत्या,आदि पर पलिस प्रशासन द्वारा जांच उपरांत प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने पर लाभ दिया जाता है पर तत्काल राहत स्वरूप एक लाख तक राहत स्वीकृत करने का प्रावधान ।

चयन प्रक्रिया – थाना प्रभारी की रिपोर्ट एवं चिकित्सक का प्रमाण पत्र आधार पर योजना प्रावधान अनुसार वित्तीय सहायता– आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त ।

अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन – अंर्तजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 50000/– का नकद पुरस्कार,मार्ग व्यय, एवं प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है ।

चयन प्रक्रिया – अनुसूचित जाति महिला/पुरूष से सवर्ण महिला/पुरूष द्वारा विवाह करने पर सर्वण वर्ग के व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देय है ।

अस्पृश्यता निवारण – ग्राम पंचायत पुरस्कार

हितग्राही चयन प्रक्रिया – अनुसूचित जाति अस्पृश्यता उन्मूलन मे श्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायत का चयन कलेक्टर द्वारा होता है ।

वित्तीय सहायता – आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा चयनित पंचायत को रू 100000/– पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है ।

अद्यतन स्थिति – वित्तीय वर्ष मे एक बार ।

अनुसूचित जाति /जनजाति कन्या प्रोत्साहन – कक्षा 5 वी उत्तीर्ण होने पर रू 500/– 8वीं उत्तीर्ण होने पर रू 1000/– एवं 10वी उत्तीर्ण होने पर 3000/– वर्ष मे एकबार स्वीकृत किये जाते है

अनुसूचित जाति /जनजाति कन्या को ग्रामीण क्षैत्र मे 3 कि.मी. अधिक दूरी पर अध्ययन करने आने वाली बालिका को निःशुल्क सायकल प्रदाय की जाती है ।

आई.टी.आई – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मे प्रवेश लेने अनुसूचित जाति / जनजाति को 75/– 1000/– प्रतिमाह की राशि स्वीकृत कर भुगतान होती है ।

मेधावी छात्र पुरस्कान योजना – कक्षा 10 वी एवं 12वी मे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति /जनजाति विद्यार्थियों की प्रावीण्यता के आधार पर चयनित छात्र छात्रा को रू 1000/– की राशि स्वीकृत की जाती है ।

मेधावी छात्र पुरूस्कार योजनाः– कक्षा 10 वी एवं12 वी में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होनेवाले अनुसूचितजाति/जनजाति विघार्थियों की प्रावीण्यता के आधार पर चयनित /छात्र/छात्रा को रूपये 1000/–की राशि स्वीकृत की जाती है ।

प्रावीण्य छात्रवृत्तिः– 45 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले विधार्थियों को प्रावीण्य के आधार पर रू0 50/– प्रतिमाह दस माह तक 9 वी एवं 10 वी में प्रदानकिये जाते हैं । कक्षा 6 7 वी एवं 8वी मे प्रतिमाह 40/– प्रावीण्य छात्रवृत्ति दी जाती है ।

निशुल्क पाठय पुस्तकों का प्रदाय :– जिले की विभिन्न शैक्षणिक सस्थाओं में अध्ययनरत कक्षा पहली एवं दूसरी के अनुसूचित जाति/जनजाति विघार्थी को निशुल्क पाठय पुस्तकें प्रदान की जाती है ।

सामूहिक विवाह योजनाः– आदिवासी एवं पिछडा वर्ग की निर्धन कन्याओं के लिय विभाग द्वारा 500/– प्रति दम्पत्ति सहायता दी जाती है ।

अनुसूचित जाति सौभा. कन्या विवाह योजनाः– अनुसूचित जाति की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के जिनके पिता गरीबी रेखा के

नीचे जीवन यापन करने वालों परिवार को रू. 5000/– कीआर्थिक सहायता शासन व्दारा स्वीकृत की जाती है । स्वीकृति का अधिकार कलेक्टर को है ।

कन्या शिक्षा प्रोत्साहन :– अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कन्याओ को कक्षा पहली एवं दूसरी में अध्ययनरत रहने वाली छात्राओं को राज्य छात्रवृत्ति विभाग द्वारा दी जाने का प्रावधान है ।

13. कार्यालय वास्तविक हितग्राहीयों की सची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली की जानकारी । इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सनिश्चित की जाचे (कार्यालय मे उपलब्ध)

1. अनुसूचित जाति कन्या सौभाग्यवती विवाह योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु रू 5000/– की आर्थिक सहायता स्वीकृति का प्रावधान है । स्वीकृति एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह हेतु स्वीकृत की जा सकती है ।

2. अत्याचार,बलात्कार,हत्या की स्थिति मे अनुसूचित जा/जनजाति के गरीब परिवारों को लाभ दिया जाने का प्रावधान है ।

14. कार्यालय मे उपलब्ध जानकारीयों की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति

1. अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत पीडित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई सहायता राशि की जानकारी वर्ष 2000 से 30 जून 2005 तक हार्ड कापी मे उपलब्ध है ।

2. राज्य छात्रवृत्ति /पो.मे. छात्रवृत्ति /कन्या शिक्षा प्रोत्साहन / निःशुल्क सायकल प्रदाय/ प्राथमिक स्तर की राज्य छात्रवृत्ति /छात्रगृह /पी.ई.टी /पी.एम.टी प्रशिक्षण शुल्क / विभाग द्वारा लाभांवित किया जाता है जिनके रजिस्टर संधारित है ।

15. आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाये जैसे पुस्त कालय पब्लिक काउण्टर आदि ।

आदिवासी /हरिजन एवं पिछडा वर्ग विभाग अंतर्गत सिटीजन चार्टर सूचना का अधिकारी अंतर्गत दिये गये निर्देशानुसार जानकारी उपलब्ध है ।

16. लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी जानी है ।

17. अन्य काई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीध संबध आम नागरिक से हो तो उन जानकारी को भी आलेखन किया जाये ।

आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के आ क्र/सूअप्र/05/16544 दिनांक 21.9.05 अनुसार जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण लोक सूचना अधिकारी एवं श्रम संयोजक आदिम जाति कल्याण को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

तथा आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र.भोपाल का आदेश क्र/सम 2005–06/3838 भोपाल दिनांक 21.9.05 अनुसार जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं क्षैत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है ।

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण हरदा

TRIBAL DEVELOPMENT

Name of the Tribal Block in the District	No Block in the District

List of the School under Tribal Development Department

Junior Primary Schools	No
Primary Schools	No
Middle Schools	No
High Schools	No
Higher Secondary School	No
New Proposed Middle School year 2000-2001 to 2008-2009	No

Tribal Hostal/Ashram

Type of Hostel Ashram	Male Child	Female Child	Total
1	2	3	4
Post Metric Hostal	**01**	**0**	**01**
Pre-Metric Hostal	**06**	**02**	**08**
Ashram School	**05**	**02**	**07**
Playground	-	-	-

Scheduled Cast Hostal/Ashram

Type of Hostel Ashram	Male Child	Female Child	Total
1	2	3	4
Post Metric Hostal	**02**	**01**	**03**
Pre-Metric Hostal	**06**	**05**	**11**
Ashram School	-	**01**	**01**
Playground	-	-	-

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण हरदा

प्रपत्र

प्रपत्र–

जिले मे नामांकित अपीलीय प्राधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं सहा लोक सूचना अधिकारी की जानकारी

जिले का नाम	जिले मे से नामांकित अधिकारीयों की संख्या	विभागों /कार्यालयों की संख्या जिनमे उक्त अधिकारी नामांकित नहीं है

	अपीलीय प्राधिकारी	लोकसूचना अधि	सहा लोक सूचना अधि	अपीलीय प्राधिकारी	लोक सूचना अधि	सहा लोक सूचना अधि
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र–

जिले मे प्रशिक्षित किये गये अपीलीय प्राधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं सहा लोक सूचना अधिकारी की जानकारी

जिले का	प्रशिक्षित अधि की संख्या	प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों की संख्या

नाम	अपीलीय प्राधिकारी	लोकसूचना अधि	सहा लोक सूचना अधि	अपीलीय प्राधिकारी	लोक सूचना अधि	सहा लोक सूचना अधि
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र –

आवेदनों के निराकरण की जानकारी
(लोक सूचना अधिकारी/सहा लोक सूचना अधिकारी स्तर)

जिले का नाम	12.10.05 से 30.10.05 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या			1.11.05 से 25.11.05 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			25.11.05 तक प्राप्त कुल आवेदनो की संख्या			25.11.05 तक निराकृत आवेदनो की संख्या			25.11.05 तक निराकृत आवेदनो की संख्या		
	गरीबी रेखा से नीचे के आवेदन	अन्य आवेदन	योग	ग्रीबी रेखा से नीचे आवेदन	अन्य आवेदन	योग	ग्रीबी रेखा से नीचे आवेदन	अन्य आवेदन	योग	ग्रीबी रेखा से नीचे आवेदन	अन्य आवेदन	योग	ग्रीबी रेखा से नीचे आवेदन	अन्य आवेदन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र –

आवेदनों के निराकरण की जानकारी
अपीलीय प्राधिकारी स्तर

जिले का नाम	12.10.05 से 25.11.05 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या			12.10.05 से 25.11.05 तक निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या			25.11.05 को लंबित आवेदनो की संख्या		
	गरीबी रेखा से नीचे के आवेदन	अन्य आवेदन	योग	ग्रीबी रेखा से नीचे आवेदन	अन्य आवेदन	योग	ग्रीबी रेखा से नीचे आवेदन	अन्य आवेदन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र –

आवेदनों के निराकरण से प्राप्त राशि की जानकारी

जिले का नाम	12.10.05 से 30.10.05 तकप्राप्त राशि (नगर या स्टेम्प के रूप मे)					1.11.05 से 25.11.05 तक प्राप्त राशि नगद यो स्टेम्प के रूप मे					25.11.05 तक प्राप्त कुल राशि नगद या स्टेम्प के रूप मे				
	आवेदन शुल्क से	सूचना के प्रदाय से	सूचना के निरीक्षण से	सेम्पल के प्रदाय से	योग	आवेदन शुल्क से	सूचना के प्रदाय से	सूचना के निरीक्षण से	सेम्पल के प्रदाय से	योग	आवेदन शुल्क से	सूचना के प्रदाय से	सूचना के निरीक्षण से	सेम्पल के प्रदाय से	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16